न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा, जिला– रायगढ़ (छ0ग0)

:: आदेश ::

क्रमांक/898/आर–2/वृक्ष कटाई/2025 घरघोड़ा दिनांक 10 जुलाई 2025

आवेदक बिहानूराम पिता बंधन जाति धनवार निवासी छिन्दभौना तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ0ग0) द्वारा ग्राम छिन्दभौना तहसील तमनार स्थित उसके भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 95/1 रकबा 3.316 हे0 पर स्थित साल प्रजाति के 60, महुआ प्रजाति के 18 एवं बीजा प्रजाति के 04 कुल 82 वृक्षों को काटे जाने की अनुज्ञा दिये जाने बाबत निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202507042600001/अ–62/2024–25 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2025 के अनुसार उक्त आवेदित वृक्षों का विवरण परिक्षेत्र सहायक जुनवानी एवं परिक्षेत्र सहायक छिन्दभौना द्वारा विदोहन योग्य वृक्षों का विवरण पेश किया गया है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र0–9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन एक खाता पर एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 10 वृक्षों के विदोहन की अनुशंसा की जा सकती है। अतः छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा जारी अधिूसचना दिनांक 11.02.2022 के नियम 07 के बिन्दु क्र0–03 में दिये गये निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी रायगढ़ के प्रतिवेदन के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि खसरा नंबर 95/1 रकबा 3.316 हे0 भूमि पर स्थित वृक्षों में से आवेदक को निम्नांकित क्रमांक के कुल 09 साल एवं एवं 01 महुआ वक्ष को वन परिक्षेत्राधिकारी रायगढ़ के माध्यम से विदोहन की अनुमति दी जाती है:–

ग्राम का नाम	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल	विदोहन योग्य वृक्षों का क्रमांक एवं नाम	कैफियत गोलाई/हालात
छिन्दभौना	बिहानूराम पिता ननकी धनवार निवासी छिन्दभौना तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ0ग0)	95/1 रकबा 3.316	01–साल	158–अर्ध0 ईम0
			02–साल	264–अर्ध0 ईम0
			03–साल	178– जलाउ
			04–साल	131–ईमारती
			05–साल	186– अर्ध0ईम0
			06–साल	162– जलाउ
			07– साल	135–अर्ध0ईम0
			08– साल	178–अर्ध ईमारती
			09– साल	130–अर्ध इमारती
			10– महुआ	150– जलाउ

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)